



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04062026-273144
CG-DL-E-04062026-273144

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2758]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 4, 2026/ज्येष्ठ 14, 1948

No. 2758]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 4, 2026/JYAISTHA 14, 1948

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 3 जून, 2026

का.आ. 2852(अ).— जबकि मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आवेदक ने जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस 3rd मंजिल, मेकर चेम्बर्स IV, 222, नरीमन पॉइंट, मुंबई, महाराष्ट्र - 400021, भारत में स्थित है, ने ट्रांसमिशन योजना "मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को विद्युत आहरण इकाई के रूप में 400/220 केवी पुणे (तळेगाव ए.आई.एस) से 50 मेगावाट कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु पारेषण प्रणाली" में शामिल ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या 25-17/87/2025-PG दिनांक 24.09.2025 के द्वारा मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को ट्रांसमिशन योजना "मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को विद्युत आहरण इकाई के रूप में 400/220 केवी पुणे (तळेगाव ए.आई.एस) से 50 मेगावाट कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु पारेषण प्रणाली" में शामिल ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग के बारे में स्थानीय अखबारों, फायनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेज़ी में) दिनांक 12.10.2025, नवभारत टाइम्स (हिंदी में) दिनांक 12.10.2025 और लोकसत्ता (मराठी में) दिनांक 13.01.2026 तथा भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 15.11.2025 में प्रकाशन की तारीख से दो महीनों के भीतर आम जनता से अवलोकन / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ने दिनांकित 13.04.2026 को एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई थी कि भारत के अधिकारिक राजपत्र एवं स्थानीय समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के दो महीनों के भीतर जनता से कोई अवलोकन / अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उन्हें वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ लाइन्स के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइन्स और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है। इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड लाइन शामिल हैं:-

- आरआईएल के नागोठणे मैनुफैक्चरिंग डिवीज़न स्विचयार्ड (गांव बेणसे, तालुका पेण, जिला रायगड, महाराष्ट्र में स्थित) से पुणे (तळेगाव ए.आई.एस) तक 220 केवी डी/सी लाइन।

इस योजना के अंतर्गत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन महाराष्ट्र राज्य के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी।

अनु. क्र	गाँवों के नाम	तहसील	ज़िला	राज्य
१	बेणसे, कुहिरे, झोतीरपाडा, शेतजुई	पेण	रायगड	महाराष्ट्र
२	पळस, शेतपळस, निडी तर्फे नागोठणे, कोंडगांव, नागोठणे, वासगांव, चिकणी, पाटणसई, पिगोंडे, कडसुरे, वेलशेत	रोहा	रायगड	महाराष्ट्र
३	चिखलगांव, कुंभारशेत, उन्हेरे बुद्रुक, पिलोसरी, उधदर, खवली, कुंभारघर, कवेले, ताडगांव, पडसरे, खांडपोली, वाघोशी, आवंढे, दहिगांव, भेरव, वाफेघर, पेडली, धोंडीवली, कानसळ, आसरे, हेंदवली, हरनेरी, कासारवाडी, मुळशी, आमणोरी, जांभुळपाडा, मजरे जांभुळपाडा, पडघवली, करचुंढे, कळंब, पावसाळवाडी, वासूंडे, घोटवडे, नेरे, परळी, नाणोसे, वावे त. आसरे, माणगांव बुद्रुक, फल्याण, भेलीव	सुधागड	रायगड	महाराष्ट्र
४	कुरवंडे, कुसगाव बुद्रुक, लोणावळा, आतवन, गोव्हांडे आपटी, आपटी, औंढे खुर्द, औंढोंली, वरसोली, डोंगरगाव, सदापूर, वाकसाई, देवळे, भाजे, मळवली, कार्ला, लोहगड, मालेवाडी, पाटण, बोरज, ताजे, पिंपळोली, पाथरगाव, खामशेत, मुंढावारे, टाकवे खुर्द, वाडीवळे, खडकाळा, कुसगाव खुर्द, चिखलसे, नाणे, नाणोली ना.मा., नायगाव, कांब्रे ना.मा., बुधवाडी, वळख, अहिरवडे, साते, कान्हे, पारवडी, टाकवे बुद्रुक, साई, घोणशेत, फळणे, जांभूळ, राजपुरी, बेलज, शिरे, मंगरूळ, आंबळे, निगड, नवलाख उंब्रे, आकुर्डी, बधलवाडी	मावळ (वडगांव)	पुणे	महाराष्ट्र

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है।

- i. यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।
- v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अधीन है।
- vi. मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

[फा. सं. 25-16/52/2026-पावर ग्रिड(एमओपी)]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 3rd June, 2026

S.O. 2852(E).— Whereas M/s Reliance Industries Limited, the applicant with its registered office at 3rd Floor, Maker Chambers IV, 222, Nariman Point, Mumbai, Maharashtra – 400021, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line included in the transmission scheme, “Transmission system for providing connectivity of 50 MW to M/s Reliance Industries Limited as Drawee Entity connected to 400/220 kV Pune (Talegaon AIS)”.

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its File No. 25-17/87/2025-PG dated 24th September 2025 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line included in the transmission scheme, “Transmission system for providing connectivity of 50 MW to M/s Reliance Industries Limited as Drawee Entity connected to 400/220 kV Pune (Talegaon AIS)”.

M/s Reliance Industries Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers Financial Express (in English) dated 12.10.2025, Navbharat Times (in Hindi) dated 12.10.2025 and Loksatta (in Marathi) dated 13.01.2026 and in Weekly Gazette of India dated 15.11.2025 for the general public to make observations / representations on the proposed transmission route within two months from the date of publication. Subsequently, M/s Reliance Industries Limited has submitted an affidavit dated 13.04.2026 declaring that no observation / representation was received within two months from the date of Publication in the Newspaper / official Gazette of Government of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established

or maintained for laying of overhead transmission line for M/s Reliance Industries Limited. The following overhead transmission line is covered under this scheme:

- RIL's Nagothane Manufacturing Division switchyard (located at Village Bense, Taluka Pen, District Raigad, Maharashtra) – Pune (Talegaon AIS) 220 kV D/c line.

The overhead transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of Rajasthan:

S. No	Village Name	Tehsil	District	State
1	Benase, Kuhire, Zotirpada, Shetjui.	Pen	Raigad	Maharashtra
2	Palas, Shetpalas, Nidi Tarf Nagothane, Kondgaon, Nagothane, Wasgaon, Chikani, Patansai, Pigonde, Kadsure, Welshet	Roha	Raigad	Maharashtra
3	Chikhalgaon, Kumbharshet, Unhere Bk, Pilosari, Uddhar, Khavali, Kumbharghar, Kavele, Tadgaon, Padsare, Khandpoli, Waghoshi, Avandhe, Dahigaon, Bherav, Wafeghar, Pedali, Dhondivali, Kansal, Asare, Hedvali, Harneri, Kasarwadi, Mulashi, Amnori, Jambhulpada, Majare Jambhulpada Padghawali, Karchunde, Kalamb, Pawasalawadi, Vasunde, Ghotawade, Nere, Parali, Nanose, Wave Tarfe Asare, Mangaon Bk, Falyan, Bheliv	Sudhagad	Raigad	Maharashtra
4	Kurvande, Kusegaon BK, Lonavala, Atvan, Gevhande Apati, Apati, Aundhe Kh., Aundholi, Warsoli, Dongargaon, Sadapur, Waksai, Devale, Bhaje, Malavali, Karla, Lohagad, Malewadi, Patan, Boraj, Taje, Pimpaloli, Pathargaon, Khamshet, Mundhavare, Takave Kh., Vadivale, Khadakala, Kusgaon Kh., Chikhalse, Nane, Nanoli N.M., Nayagaon, Kambare N.M, Budhavadi, Valakh, Ahirvade, Sate, Kanhe, Paravadi, Takave B.K, Sai, Ghonshet, Phalane, Jambhul, Rajpuri, Belaj, Shire, Mangarul, Ambale, Nigade, Navalakh Umbre, Akurdi, Badhalawadi	Maval (Wadgaon)	Pune	Maharashtra

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Reliance Industries Limited for laying above overhead transmission line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

- The approval is granted for 25 years.
- The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.
- The Applicant shall have to follow regulations / codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under the Electricity Act, 2003.
- The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- M/s Reliance Industries Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.

[F.No. 25-16/52/2026-POWER GRID(MoP)]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)